उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन/14-अशोक मार्ग,
लखनऊ-226001

संख्या – 437 ज0श10–08/पाकालि0–07–40(10)ज0श10/98 दिनांक : अगस्त, 27, 2007

कार्यालय ज्ञाप

दिनांक–14.01.2000 को पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के विघटन/पुनर्गठन एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की स्थापना के परिणाम स्वरूप समाप्त मान लिए गये समस्त पूर्व स्वीकृत रिक्त पदों में से, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दि0–07.08.2007 को सम्पन्न हुई स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में शक्ति भवन–मुख्यालय एवं शक्ति भवन–विस्तार की अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था की वैधानिक अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुये लिये गये निर्णयानुसार कार्यालय ज्ञाप सं0–1270 ज0श10–08/रा0वि0प0–99–29 (37) ज0श10/98, दिनांक–11.10.99 द्वारा स्वीकृत/रिक्त अग्निशमन अधिकारी का 1 (एक) पद, लीडिंग फायर मैन के 4 (चार) पद तथा फायरमैन के 25 (पच्चीस) पद कुल 30 (तीस) पदों को पुर्नजीवित किये जाने की स्वीकृति, एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों सहित प्रदान की जाती है :–

(क) पुर्नजीवित किये गये उक्त पदों को अग्निशमन सुरक्षा का कार्य देख रहे श्रमिको/चौकीदारों के पदो पर कार्यरत कार्मिको जो कि अग्नि शमन सुरक्षा का प्रशिक्षण, "राज्य अग्नि शमन प्रशिक्षण महाविद्यालय, उन्नाव" से प्राप्त कर चुके हों, को पदोन्नति देकर भरा जायेगा तथा जिन श्रमिको/चौकीदारों की पुर्नजीवित किये गये उक्त पदों पर प्रोन्नति की जायेगी, उनके पद (श्रमिक/चौकीदार इत्यादि के पद) स्वतः समाप्त समझे जायेगें।

(ख) उपरोक्तानुसार प्रोन्नति के परिणामस्वरूप कारपोरेशन पर जो अतिरिक्त वेतन इत्यादि के मद में व्ययभार आयेगा, वह अग्निशमन सुरक्षा में कार्यरत श्रमिको/चौकीदारों पर वर्तमान में पड़ने वाले व्ययभार से 10 (दस) प्रतिशत से अधिक नही होगा।

2– उक्त "आदेश" के परिणाम स्वरूप होने वाला व्यय भार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक में आगणित होगा।

स्टेयरिंग कमेटी के अनुमोदन से
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या – 437 (1) ज0श10–08/पाकालि0–07–40 (10) ज0श10/98 तद्दिनांक

(1) प्रमुख सचिव, (ऊर्जा) उ0प्र0 शासन, को उ0प्र0 शासन के पृष्ठांकन सं0–सी0एम0–156(1)/24–पी–2–2007, दि0–22.08.2007 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन मे।

(2) अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध मुख्य महाप्रबन्धक/निजी सचिव, उ0प्र0 पा0का0लि0–शक्ति भवन, लखनऊ।

(3) निदेशक–(का0प्र0 एवं प्रशासन)/(वितरण)/(पारेषण)/(वित्त), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(4) मुख्य महाप्रबन्धक (का0प्र0–प्रथम/द्वितीय)/महाप्रबन्धक (का0प्र0–03), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(5) मुख्य अभियन्ता, (जानपद) पारेषण–द्वितीय उ0प्र0 पावर ट्रान्समीशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन–विस्तार, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–3247– मु0अ0(जानपद) पारेषण–द्वितीय/ज–4, दि0–04.10.2006 के सन्दर्भ में उपरोक्त आदेश के उप प्रस्तर–क/ख के अनुपालनार्थ।

JAN SHAKTI

12

(6) मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन-विस्तार, लखनऊ।
(7) अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन-विस्तार, लखनऊ।
(8) समस्त उप महाप्रबन्धक/उपसचिव/अनुसचिव/निजी सचिव/अनुभाग अधिकारी, शक्ति भवन, लखनऊ।
(9) समस्त मुख्य-महाप्रबन्धक/ महाप्रबन्धक/ उप-महाप्रबन्धक- लेखा शाखा/ वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी-वेतन एवं लेखा/निधि/आय-व्ययक/प्रशासन, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन,/शक्ति भवन-विस्तार, लखनऊ।
(10) वरिष्ठ उपमहालेखाकार-आडिट-2, द्वितीय तल, शक्ति भवन-विस्तार, लखनऊ।
(11) ज0श0-08 अनुभाग की अन्य समस्त सम्बन्धित पत्रावलियाँ।

आज्ञा से,

27/8/07

(अशोक कुमार गुप्ता)
उपसचिव (जनशक्ति)